संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A3-66(1)/2018

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड **देहरादूनः दिनांकः / 8 अक्टूबर, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 367 मान्यता/के0यू0/2019–20 दिनांक 15 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में 90 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2019–20 से 2021–22 तक की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	**बी0बी0ए0**	90 सीट	सत्र 2019–20 एवं सत्र 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्थान के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता के दृष्टिगत् संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व छात्रहित नें यू0जी0सी0/राज्य वि0वि0 अधिनियम–1973 तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

3– विश्वविद्यालय छात्रहित के दृष्टिगत् यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान में अर्ह फैकल्टी, पुस्तकें व फर्नीचर मानकानुसार उपलब्ध हों।

4– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2091 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-66(1)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
03. प्रबन्धक, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
04. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0 के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।